



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1942 (श0)

(सं0 पटना 658) पटना, मंगलवार, 29 सितम्बर 2020

उद्योग विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2020

सं० ह0क0(यो0)धुनिया-05/2019-2714— बिहार में धुनिया आर्टिजनों के कल्याणार्थ राज्य स्तरीय धुनिया आर्टिजन विकास समिति का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत निबंधन किया जाना है। जिसमें स्मृति-पत्र (Memorandum of Association) के अनुसार निबंधन अधिनियम-21, 1860 के अन्तर्गत आम सभा (General Body) के सरकारी सदस्यों का गठन किया जाता है। जो निम्नवत है:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) उद्योग मंत्री, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (iii) प्रधान सचिव/प्रतिनिधि वित्त विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (iv) प्रधान सचिव/सचिव/प्रतिनिधि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (v) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (vi) उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (vii) निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना | — | सदस्य |
2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री उद्योग, बिहार, पटना का आदेश प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 658-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>